

पत्रांक सं०-2प०/प०स०भ०-09-29/2024(Part I)/...../प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 25/5/2026

विषय: ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जाने वाले पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹67,50,00,000.00 (सड़सठ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 द्वारा ₹1642.09 करोड़ (सोलह सौ बयालीस करोड़ नौ लाख रुपये) की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवनों तथा विभागीय राज्यादेश सं०-03 (स्वी०) दिनांक 12.05.2021 द्वारा ₹3,11,75,91,965.00 (तीन सौ ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हजार नौ सौ पैसठ रुपये) मात्र की लागत से 244 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा विभागीय संकल्प संख्या-6549 दिनांक 23.05.2025 द्वारा ₹27,84,93,27,422.00 (सत्ताईस अरब चौरासी करोड़ तिरानवे लाख सत्ताईस हजार चार सौ बाईस रुपये) की लागत से 1069 पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।


2. ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में विवरणी के अनुरूप कुल ₹67,50,00,000.00 (सड़सठ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम मद के "मुख्य-शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु-शीर्ष-101-पंचायती राज-उप शीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" अंतर्गत "विषय शीर्ष-5301.-मुख्य निर्माण इकाई" से किया जायेगा। इसका मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-4515001010108 है।

4. इस स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्यय विभागीय राज्यादेश संख्या-03 (स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं 03 (स्वी०) दिनांक 12.05.2021 तथा विभागीय संकल्प संख्या-6549 दिनांक 23.05.2025 एवं विभागीय पत्रांक-8247 दिनांक 01.07.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृत राशि को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को कार्य प्रारंभ करने के समय तकनीकी स्वीकृति की राशि का 5 प्रतिशत Mobilization Advance के रूप में तथा निर्माण प्रारंभ होने के उपरांत मापीपुस्त में भौतिक प्रगति की प्रविष्टि के आधार पर CFMS के माध्यम से ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।
6. इन योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे, ताकि इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना कार्यालय में समायोजित कराया जा सके।
7. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. यदि किसी जिला में अधियाचित/आवश्यक राशि से अधिक राशि आवंटित हो जाती है तो इसकी सूचना विभाग को देते हुये अतिरिक्त राशि विभाग को प्रत्यार्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. इस स्वीकृत्यादेश में माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-240/प०स०भ०-09-29/2024(Part I) के पृष्ठ...66/टि० पर दिनांक ...21.05.2026 को प्राप्त है।
11. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-240/प०स०भ०-09-29/2024(Part I) के पृष्ठ 64/टि० दिनांक ...11.05.2026 पर प्राप्त है।
12. इस स्वीकृत्योदश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

 (नजर हुसैन)
 अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प0 / प०स०भ०-09-29 / 2024(Part I) / 106570 / प०रा० पटना, दिनांक 25/5/26
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, (अरवल एवं शेखपुरा
को छोड़कर) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 22/5/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प0 / प०स०भ०-09-29 / 2024(Part I) / 106570 / प०रा० पटना, दिनांक 25/5/26
प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 22/5/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प0 / प०स०भ०-09-29 / 2024(Part I) / 106570 / प०रा० पटना, दिनांक 25/5/26
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग,
बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 22/5/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प0 / प०स०भ०-09-29 / 2024(Part I) / 106570 / प०रा० पटना, दिनांक 25/5/26
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-05 (बजट),
प्रशाखा-06 एवं प्रशाखा-07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 22/5/26
अपर सचिव


ज्ञापांक : 2प0 / प०स०भ०-09-29 / 2024(Part I) / 106570 / प०रा० पटना, दिनांक 25/5/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 22/5/26
अपर सचिव

ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत की जानेवाली राशि की विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	राशि
1	Araria	₹ 2,40,00,000.00
2	Aurangabad	₹ 2,10,00,000.00
3	Banka	₹ 2,80,00,000.00
4	Begusarai	₹ 1,90,00,000.00
5	Bhagalpur	₹ 50,00,000.00
6	Bhojpur	₹ 2,50,00,000.00
7	Buxar	₹ 80,00,000.00
8	Darbhanga	₹ 1,40,00,000.00
9	Gaya ji	₹ 2,90,00,000.00
10	Gopalganj	₹ 50,00,000.00
11	Jamui	₹ 20,00,000.00
12	Jehanabad	₹ 20,00,000.00
13	Kaimur (Bhabua)	₹ 4,50,00,000.00
14	Katihar	₹ 2,50,00,000.00
15	Khagaria	₹ 1,00,00,000.00
16	Kishanganj	₹ 20,00,000.00
17	Lakhisarai	₹ 1,00,00,000.00
18	Madhepura	₹ 70,00,000.00
19	Madhubani	₹ 4,90,00,000.00
20	Munger	₹ 20,00,000.00
21	Muzaffarpur	₹ 4,10,00,000.00
22	Nalanda	₹ 1,70,00,000.00
23	Nawada	₹ 2,50,00,000.00
24	W Champaran	₹ 1,30,00,000.00
25	Patna	₹ 7,10,00,000.00
26	E Champaran	₹ 5,20,00,000.00
27	Purnia	₹ 70,00,000.00
28	Rohtas	₹ 1,40,00,000.00
29	Saharsa	₹ 50,00,000.00
30	Samastipur	₹ 1,70,00,000.00

31	Saran	₹	1,80,00,000.00
32	Sheohar	₹	-
33	Sitamarhi	₹	1,30,00,000.00
34	Siwan	₹	2,90,00,000.00
35	Supaul	₹	80,00,000.00
36	Vaishali	₹	1,30,00,000.00
	Total		₹ 67,50,00,000.00
राशि शब्दों में सड़सठ करोड़ पचास लाख रुपये मात्र			


22/5/24